

परिशिष्ट-1

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

सम्मिलित विभाग एवं उनकी सेवाएं

(दिनांक 27.06.2012 तक की स्थिति)

क्र. सं.	विभाग	अधिसूचना दिनांक	सम्मिलित सेवाओं की संख्या	कुल सेवाएं	टिप्पणी
1	राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग	5.10.2011	08	09	
		16.12.2011	01		
2	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	5.10.2011	07	07	
3	(1) जल संसाधन विभाग	5.10.2011	04	35	
	(1) जल संसाधन विभाग	16.12.2011	15		
	(2) इन्दिरा गांधी नहर विभाग (3) जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग	28.5.2012	16		
4	सार्वजनिक निर्माण विभाग	5.10.2011	06	06	
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	5.10.2011	06	06	
6	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	5.10.2011	12	12	
7	ऊर्जा विभाग	5.10.2011	05	05	
8	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	5.10.2011	01	01	
9	गृह (पुलिस) विभाग	5.10.2011	04	04	
10	यातायात विभाग	5.10.2011	04	04	
11	वित्त विभाग	5.10.2011	08	08	
	(1) समस्त विभाग				
	(2) पेंशन विभाग				
	(3) कोष एवं लेखा विभाग				
	(4) कोष एवं लेखा एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण				
12	चिकित्सा शिक्षा	5.10.2011	02	02	
13	नगरीय विकास विभाग	5.10.2011	09	15	
		9.5.2012	06		
14	राजस्थान आवासन मण्डल	5.10.2011	21	23	
		19.3.2012	02		
15	स्वायत्त शासन/स्थानीय निकाय विभाग	5.10.2011	11	11	
16	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	9.5.2012	02	02	
17	पंचायती राज विभाग	7.6.2012	02	02	
18	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	27.6.2012	01	01	
	योग		153	153	

186

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहयण 25, शुक्रवार, शके 1933-दिसम्बर 16, 2011 Agrahayana 25, Friday, Saka 1933-December 16, 2011	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 16, 2011

अधिसूचना

संख्या प 13(1)प्रसु/समा/अनु-1/2008-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 को हुआ है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी नियुक्त करने के लिये निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के सामने कॉलम संख्या 3 के क्रम संख्या 2 के बिन्दु संख्या "(2) तहसीलदार/नाइब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय" के पश्चात् निम्न नया बिन्दु संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

3. पथरगढ़ी सीमाज्ञान	30	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	पटवारी/आईएलआर	एस.डी.ओ./सहायक आयुक्त उपनिवेशन	अतिरिक्त जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत) अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन	-
----------------------	----	------------------------	---------------	--------------------------------	---	---

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्न नई क्रम संख्या-3क और उसकी प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

3क	जल संसाधन विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग	1	राजकीय खाले/नहरों पर अतिक्रमण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
		2	नक्का परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता

		एक माह में।		अभियन्ता		
3	दिन राते की बारी में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
4	सिंचाई/भराई संबंधित प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
5	दोषपूर्ण मोधे पठन की शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
6	पानी पूरा प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
7	पानी की बारी का हस्तान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
8	बून्द-बून्द सिंचाई में बागों को राज्य नीति के अनुसार पानी की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
9	जल उपयोगिता संगमों को (i) सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत राशि का मुगलान	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता

	(ii) नहरों में रखरखाव के कार्यों का मुगतन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
10	नहर में कटाव संबंधी शिकायतें	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
11	पानी घोरी संबंधी शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के अन्दर।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
12	स्वीकृत कमाण्ड क्षेत्र में पानी की बारी बांघना व पर्ची जारी करना।	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन के अन्दर।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
13	राजकीय निर्देशानुसार सिंचाई की स्थायी पर्चियां जारी करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
14	नया फील्ड चैनल की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
15	वाटर कोर्स के एलाईमेंट में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिराशी अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता कार्यालय/ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी. जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र-1, बुधवार, शाके 1934-मार्च 21, 2012
Chaitra 1, Wednesday, Saka 1934-March 21, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2012

संख्या प.13(1)प्र0सु0/सम0/अनु-1/2008-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदामिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदामिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयवधि नियत करने, पदामिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदामिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 14 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 97 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 97ए तथा 97बी एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

97ए	घरोहर राशि (सिखोरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण	घरोहर राशि देय अवधि के पश्चात् संवेदन से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की 90 दिवस की अवधि में	आवासीय अभियन्ता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	-
97बी	मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन की सक्षम स्वीकृति	कार्य पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में	आवासीय अभियन्ता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	-

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. आर.पी. जैन
प्रमुख शासन सचिव।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 20, गुरुवार, शाके 1934-मई 10, 2012
Vaisakha 20, Thursday, Saka 1934-May 10, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मई 09, 2012

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उर्दकों प्रदान करने की नियत समय सीमा, प्रदायित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले, सहायक प्रदायित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, प्रदायित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक प्रदायित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 76 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 76ए, 76बी, 76सी, 76डी, तथा 76ई एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

76 ए	कक्षा पत्र	15 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमाकेशन एवं संपूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपायुक्त 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता, डी.टी.पी./ए.टी.पी. 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित तहसीलदार, सहायक अभियन्ता एवं संबंधित लिपिक	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
76बी	लीज डीड जारी करना	30 दिवस (मौके पर विकास कार्य डिमाकेशन एवं संपूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपायुक्त 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, डी.टी.पी./ए.टी.पी. 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित तहसीलदार/संबंधित लिपिक	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
76सी	विक्रय अनुमति	21 दिवस (लीज डीड की शर्तों की पूर्ण पालना होने पर एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपायुक्त 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, डी.टी.पी./ए.टी.पी. 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित तहसीलदार/संबंधित लिपिक/लेखाकर्मी	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
76डी	ले-आउट अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से संबंधित)	30 दिवस (टाउनशिप मैपिंग के तहत न्यूनतम विकास कार्य एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा करने पर केम अयोजित किये जायेंगे)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपायुक्त 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, डी.टी.पी./ए.टी.पी. 2. नगर सुधार न्यास-संबंधित तहसीलदार/संबंधित लिपिक एवं नगर नियोजन सहायक	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-

76ई	कच्ची बस्ती नियमन उपपत्र जारी करना	30 दिवस (संपूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपयुक्त न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, डी.टी.पी./ए.टी.पी./टी.पी.ए. संबंधित तहसीलदार/शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा, नगर सुधार न्यास
76एफ	अनापत्ति प्रमाण पत्र	21 दिवस (अनापत्ति-प्रमाण पत्र बाबत देय राशि जमा करने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त)	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन उपयुक्त न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1. जविप्रा/जोविप्रा-संबंधित जोन तहसीलदार, डी.टी.पी./ए.टी.पी./टी.पी.ए. संबंधित लेखाधिकारी, अधिराशी अनियन्ता लिपिक	1. सचिव-जविप्रा/जोविप्रा, नगर सुधार न्यास	1. आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा, नगर सुधार न्यास

(ii) उक्त सारणी के अन्त में कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 व उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम 16 व उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगी, अर्थात् :-

16	अल्प संख्यक मामलात विभाग	109	अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र	आवेदन प्राप्ति से 3 दिवस में	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	जिला प्रोग्राम अधिकारी	जिला कलेक्टर	निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग
		110	नेशनल कमिशन फॉर माइनोरिटी एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स एक्ट, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संस्था की प्रथम सुनवाई तिथि से 30 दिवस	सहायक निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सहायक शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग	शासन उप सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग	प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग

राज्यपाल के आदेश से,
आर.पी.जेन,
प्रमुख शासन सचिव।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 7, सोमवार, शाके 1934-मई 28, 2012
Jyaishta 7, Monday, Saka 1934-May 28, 2012

भाग 1 (क)

नियुक्तियाँ, छुट्टियाँ आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियाँ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2012

संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./ अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 को क्रमशः पुनर्संख्यांकित कर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7), 19(8), 19(9), 19(10), 19(11), 19(12), 19(13), 19(14), एवं 19(15) किया जावेगा एवं;
- सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की क्रम संख्या 19(15) यथा पुनर्संख्यांकित, के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 19(16), 19(17), 19(18), 19(19), 19(20), 19(21), 19(22), 19(23), 19(24), 19(25), 19(26), 19(27), 19(28), 19(29), 19(30), एवं 19(31) एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

19(16)	अतिरिक्त नाका प्रकरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(17)	आड स्वीकृति के प्रकरण (भूमि के बंटवारे के कारण)	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दो माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(18)	आपसी बंटवारे के कारण पानी की बारी में संशोधन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-

19(19)	नाकेवार बारी के स्थान पर खातेवार पानी बांधना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(20)	अवैध सिंचाई के कारण काटा पानी को बहाल करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(21)	लेवल करने के पश्चात् भट्टे का पानी की बारी बांधना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(22)	1 चक को 2 चक में विभाजन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(23)	दो चकों को एक चक में सम्मिलित करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(24)	एक चक से दूसरे चक में कमाण्ड क्षेत्र का स्थानान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(25)	नहर के साथ पेड़ों के सीमांकन की जानकारी	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(26)	अनकमाण्ड को कमाण्ड से संबंधित प्रकरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(27)	एक नहर प्रणाली से दूसरी नहर प्रणाली में भूमि का स्थानान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-
19(28)	एक परियोजना से दूसरी परियोजना में कमाण्ड भूमि स्थानान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता	-

19(29)	पीने का पानी सर्वजनिक/ धार्मिक के लिए आवंटन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दो माह में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	-
19(30)	स्तीकृत चक प्लान की प्रति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	-
19(31)	चक के हाइड्रोलिक डाटा	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	-

राज्यपाल के आदेश से,
आर.पी.जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाक 1934-जून 7, 2012
Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934-June 7, 2012

भाग-1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)
अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व सुव्यवस्था प्रदान करने के नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएँ जोड़ी जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 16 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न संख्या 17 एवं उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात् :-

17	पंचायती राज विभाग	111	प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना	30 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-
		112	पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना	15 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-

राज्यपाल के आदेश से,
आर. पी. जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

संख्या प. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु-1/2008

जयपुर, दिनांक: 27 जून, 2012

अधिसूचना

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएँ जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 17 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नयी क्रम संख्या 18 एवं उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात् :-

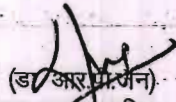
18	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	113	राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/ अनुमोदन अनुसार देय नि: शुल्क/ रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए परिचय पत्र जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने						1. उक्त सभी नि:शुल्क/ रियायती यात्राएँ राजस्थान राज्य के निवासियों को ही देय है। अतः राजस्थान राज्य में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. वांछित प्रपत्रों के साथ दो पासपोर्ट साईज की फोटो प्रस्तुत किया जाना एवम् निर्धारित फीस निगम कोष में जमा की जानी अपेक्षित है।
			(i) पत्रकार	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क)	सम्बन्धित लिपिक	उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	डी.पी.आर से जारी परिचय पत्र के आधार पर अधिकृत पत्रकार को निगम मुख्यालय से परिचय पत्र जारी किया जावेगा तथा जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रमाणिकरण पर परिचय पत्र का नवीनीकरण व यात्रा कूपन आगार स्तर से जारी किये जाने की व्यवस्था ।
			(ii) स्वतन्त्रता सेनानी	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	राजस्थान सरकार से स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर्ता स्वतन्त्रता सेनानी को जारी पेंशन आदेश के आधार पर निगम से परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था ।

(iii) स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	राजस्थान सरकार से स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर्ता स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा को जारी पेंशन आदेश के आधार पर निगम से परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(iv) युद्ध में शहीदों की विधवाएँ एवं उन पर आश्रित अवयस्क सन्ताने	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	शहीद सैनिक के सम्बन्ध में जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(v) राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढ़ने वाली आदिवासी बालिकाएँ	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	विधालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii / परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(vi) पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क)	सम्बन्धित लिपिक	उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(vii) नेत्रहीन/अंधता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	नेत्रहीन/अंधता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(viii) विकलांग (अस्थि)/चलन निःशक्तता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	विकलांग(अस्थि)/चलन निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(ix) श्रवण बाधित	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	श्रवण बाधित निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
(x) मानसिक विमन्दित/मंदता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनल मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	मानसिक विमन्दित/मंदता की निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।

	(xi) कम दृष्टि निःशक्तता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनील मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	कम दृष्टि निःशक्तता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xii) मानसिक रूग्णता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनील मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	मानसिक रूग्णता के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xiii) कुछ रोग मुक्त	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनील मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	कुछ रोग मुक्त के विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र व आयकर दाता नहीं होने का पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xiv) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में राज्य के पदक विजेता	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबन्धक (इन सम्पर्क)	सम्बन्धित लिपिक	उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र / खेल विभाग के प्रमाणिकरण के प्रपत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर जारी परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xv) राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क)	सम्बन्धित लिपिक	उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलेन्ट्री अवार्ड के प्रपत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xvi) विद्यार्थी	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनील मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	राजकीय अथवा शिक्षा विभाग / विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत का प्रमाण व विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii / परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
	(xvii) राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जोनील मैनेजर	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक का प्रमाण पत्र व आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी सूची में नाम अंकित होने के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।

		(xviii) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष व अधिक आयु)	3 दिन (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने पर)	मुख्य प्रबन्धक	सम्बन्धित लिपिक	जानल मैनेजर	कार्यकार निदेशक (यातायात)	आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होने के प्रमाणित पत्र (फोटो युक्त) प्रस्तुत करने पर उसके आधार पर निगम कार्यालय द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था।
--	--	--	---	----------------	-----------------	-------------	---------------------------	---

राज्यपाल के आदेश से,

(
(डॉ. अरुण कुमार)
प्रमुख शासनी सचिव